कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

<u>प्रेस नोट</u>

''डकैती की योजना बनाते अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार''

12 मोटरसाईकिलें, देशी कट्टा चाकू तलवार सहित धारदार हथियार बरामद

जयपुर 17 अगस्त। झालावाड के पुलिस थाना झालरापाटन एवं सदर की स्पेशल टीमों द्वारा बडी कार्यवाही करते हुए इन्दौर स्टेट हाईवे पर पीलिया खाल के पास हथियारों से लैस होकर हाईवे पर स्लीपर कोच यात्री बस को लूटपाट की योजना बना रहे 5 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से चोरी की कुल 12 मोटरसाईकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की है ।

पुलिस अधीक्षक झालावाड श्री आनन्द शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित एवं वृत्ताधिकारी श्री छगनसिंह राठौड के नेतृत्व में थानाधिकारी झालरापाटन श्री हीरालाल सैनी पु0नि0 एवं थानाधिकारी सदर श्री संजय प्रसाद उ0नि0 मय गठित अलग अलग टीमों के द्वारा रात्री को बडी कामयाबी हांसिल करते हुए इन्दौर स्टेट हाईवे पर पीलिया खाल के पास हथियारों से लैस होकर हाईवे पर स्लीपर कोच यात्री बस को लूटपाट की योजना बना रहे 5 कुख्यात बदमाश बाबूलाल उर्फ बाबूडिया कंजर पुत्र चेतन कंजर, दाडम सिंह पुत्र हरिशचंद्र कंजर, पप्पू पुत्र मान्या कंजर निवासी तीतरवासा व सरदार पुत्र लीमा कंजर, रामेश्वर पुत्र जमन्या कंजर निवासी बिरियाखेडी को मय हथियारों के पकडा व बदमाशों के कब्जे से चोरी की कुल 12 मोटरसाईकिलें बरामद की है।

श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि चोर गिरोह के पास से एक देशी कट्टा, एक ग्रिप वाला दांतेदार चाकू, तलवार फर्शी व लाठी जैसे घातक हथियार बरामद हुऐ है। बदमाश देर रात्रि में जयपुर–कोटा–इन्दौर आने जाने वाली स्लीपर कोच बसों में यात्रियों को लूटपाट की योजना बना रहे थे। उक्त बदमाशों से पूछताछ करने पर अन्य वारदातें भी कबूल की जिस पर इनकी निशांदेही से टीम द्वारा तीतरवासा व बिरियाखेडी के माल में नदी किनारे जंगल में छिपा कर रखी 9 और मोटरसाईकिलें बरामद की है।

श्री शर्मा ने बताया कि बरामद कुल 12 मोटरसाईकिलों में से एक–एक मोटरसाईकिल ग्राम माथनिया थाना रायपुर, कस्बा रायपुर से, झालावाड रोड,

राजपुरा–भवानीमंडी, देवनगर थाना सदर, बोरखेडा कोटा भाहर एवं दबलाना जिला बून्दी से तथा 5 मोटरसाईकिलें झालावाड शहर में संजय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, अस्पताल, बडा बाजार आदि विभिन्न स्थानों से चोरी करना पाई गई है।

उन्होंने बताया कि पकडे गये सभी बदमाश संपत्ति अपराधों में सक्रिय हार्डकोर क्रिमीनल है जिनके विरूद्व कोटा रैन्ज के विभिन्न वाहन चोरी, नकबजनी एवं लूट के दर्जनों मुकदमें पूर्व से दर्ज हैं। बाबूलाल उर्फ बाबूडिया कंजर इस गिरोह का सरगना है जिसने 7 अगस्त,17 को ग्राम देवनगर निवासी हरिसिंह धाकड की मोटरसाईकिल छुडा ली थी, जिसकी सदर पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, जिसे पुलिस ने आज मय गिरोह के अन्य साथीयों के गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बडे स्तर पर चोरी की मोटरसाईकिले बरामद करने में सफलता हासिल की है।

मुल्जिमों से पूछताछ जारी है जिनसे और भी वारदातें खुलने की सम्भावना है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त बदमाश कीलों वाले पट्‌टे को सूनसान जगह पर यात्री बस के आने से कुछ समय पूर्व रोड पर डाल देते है जिससे वाहन के टायर पंचर हो जाते है। चालक द्वारा वाहन को रोके जाने पर बदमाशों द्वारा चालक/यात्रीयों को डरा धमका कर उनके पास मिलने वाले सामान, नकदी, जेवरात, मोबाईल आदि लूट लेते है। चोरी की मोटरसाईकिलो के क्रम मे बदमाशों ने पूछताछ पर बताया कि भीड भाड वाले स्थानों पर कुछ देर रेकी करने के बाद मास्टर की से मोटरसाईकिल का लॉक तोडकर चुरा लेते है फिर उसे जंगल मे छिपा देते है।

राही/ सन्तरा/597/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

जयपुर में हुई 5 लाख की चोरी का आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 17 अगस्त। सवाईमाधोपुर के थाना मलारना डुगॅर व चौकी भाडोती पर कार्यरत कानि0 दीपेन्द्र को प्राप्त सुचना के अनुसार कार्यवाही करते हुए श्री गिरार्ज प्रसाद स0उ0नि0, बाबूदीन हैड कानि0 व चौकी भाडोती से कानि0 दीपेन्द्र गावॅ गम्भीरा पहुॅचे व आरोपी को गिरफ्तार किया व चोरी के तीन लाख बाईस हजार रूपये बरामद करने में सफलता हासिल की।

पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर श्री मामन सिंह ने आज जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कन्ट्रोल रूम सवाई माधोपुर पर रात्रि को जरिये टेलीफोन बने सिंह उ0नि0 थाना मुहाना मण्डी जिला जयपुर ने बताया की एक व्यक्ति के खिलाफ मुहाना मण्डी थाने पर स्पीकर फैक्ट्री के मालिक ने रिपोर्ट दी हैं की यह व्यक्ति मेरे यहाॅ पर नौकरी करता था। रात्रि को फैक्ट्री का ताला तोडकर लगभग पाचॅ लाख रूपये चोरी कर ले गया। उसके निवास स्थान पर उसका आधार कार्ड मिला है जिसमें उसका नाम मेघराज मीना पुत्र रामराज जाति मीना निवासी 154 बालाजी पाडा गावॅ गंभीर जिला सवाई माधोपुर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि उक्त पर पुलिस कन्ट्रोल रूम पर कार्यरत हैड कानि0 मुरारी लाल ने बताया की इस नाम का कोई भी गावॅ सवाई माधोपुर में नहीं हैं इसके स्थान पर गावॅ गंभीरा थाना मलारना डुगॅर में पडता हैं। सूचना प्राप्त होने पर हैड कानि0 द्वारा पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलीफोन हालात निवेदन किये गये। घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्रीमान के निर्देशन में थानाधिकारी थाना मलारना डुगॅर व चौकी भाडोती पर कार्यरत कानि0 दीपेन्द्र को कार्यवाही हेतु बताया। जिस पर श्री गिरार्ज प्रसाद स0उ0नि0, बाबूदीन हैड कानि0 व चौकी भाडोती से कानि0 दीपेन्द्र गावॅ गम्भीरा पहुॅचे व आरोपी को गिरफ्तार किया व चोरी के तीन लाख बाईस हजार रूपये बरामद किये गये। गिरफ्तार की सूचना मुहाना मण्डी थाने पर दी गई । रात्रि को ही मुहाना मण्डी थाना पुलिस को सुर्पद किया गया।

राही / सन्तरा / 598 / 2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

लूट की वारदात का खुलासा आरोपी को 24 घण्टे मे किया गिरफ्तार

जयपुर 17 अगस्त। अलवर के पुलिस थाना मालाखेडा ने 16 अगस्त,2017 को मुखबीर तंत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना पर OLX बैव साईड पर मोबाईल नम्बर डालकर उस नम्बर पर सम्पर्क करने वाले लोगों से लूट करने वाले आरोपी को जालुकी चौराहा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की हैं।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि थाना मालाखेडा ने 16 अगस्त,2017 को डा0 श्री मूलसिह राणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीँण व श्री साँवरमल नागौरा वृताधिकारी वृत ग्रामीण के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा मुखबीर तंत्र के माध्यम से प्रभावी व त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी जैकम खां पुत्र सब्दल खां जाति मेव उम्र 30 साल निवासी तेलिया का बास तन मोजपुर थाना लक्ष्मणगढ को जालुकी चौराहा से गिरफतार किया जाकर गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपी जैकम ने बताया की हम OLX बैव साईड पर मोबाईल नम्बर डालकर उस नम्बर पर सम्पर्क करने वाले लोगों से लगजरी कारो को कम कीमत मे बेचने का प्रलोभन देकर दुरदराज के लोगो को बुलाकर अपने स्थानीय साथी अपराधीयों की मोटरसाईकिल लेकर उक्त लोगों को किसी आस पडोस के स्टेण्ड से रिसिव कर एपरोच रोडो के पास खडी फसलों में ले जाकर अपने शेष साथी पूर्व से मय हथियार वहाँ पर खडे रहते है और जाते ही लोगों को साथ मारपीट कर हथियारो के बल लूटपाट कर रूपये सामन मोवाईल ,सोने की चैन इत्यादि कीमती सामन को छीन कर फरार हो जाते है। सदस्य– इस घटना मे मुल0 जैकम के साथ सारुप, कल्लू, साहिद निम्न मुल्जिम है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि 15 अगस्त को परिवादी श्री शांतिलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाती जैन उम्र 40 साल निवासी गुडामलानी जिला बाडमेर ने रिपोर्ट पेश की कि आज से 4–5 दिन पहले मैने OLX ूमइेपजम पर एक swift dzire modal 2012 कार देखी जिसको किसी प्रेम भाई डीसा (गुजरात) नाम के व्यक्ति ने 300000ध– रुपये मे बेचने का औफर दिया हुआ है जिससे वस• पर दिये हुए मोबाइल नं 9068324964 से मैने अपने न0 9636795370 से बात की तब उसने बताया कि मै इन्जिनियर हूँ तथा मेरी साईड मालाखेडा अलवर मे चल रही है। मेरी गाडी भी मालाखेडा मे ही है व बताया कि मेरे को कम्पनी की तरफ से एक गाडी मिली है। इस कारण मै मेरी स्वीफ्ट डिजायर को बेचना चाहता हू। जिस पर मेरी 2,90,000 रुपये मे कार खरीदने की बात हुई ओर कहा कि आप

अलवर आकर गाडी ले जाओ। जिस पर मै व मेरा साथी देवीलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट गांव भाटाला जिला बाडमेर गाडी लेने के लिए दिनांक 13–8–17 शाम को मालाखेडा अलवर के लिए रवाना होते समय प्रेम भाई निवासी डीसा नाम के व्यक्ति से बात हुई तो उसने जयपुर आकर बात करने को कहां। जयपुर आकर हमने उससे बात की तो उसने हमे मालाखेडा अलवर मे बुलाया। जिस पर हम मालाखेडा पहुचे तो एक व्यक्ति जिसने काली शर्ट,ब्लू जिंस पहन रखी थी हमे लेने के लिए स्पैलण्डर प्लस मोटरसाईकल लेकर आया । जिसने हमसे गाडी खरीदने बाबत जानकारी कि तो हम उसके साथ मोटर साईकिल पर बैठकर चल दिये तब उसने बताया कि रोड खराब होने कारण मै गाडी को नहीं लेकर आया आप घर चलकर ही गाडी देख लो और हम दोनो को मोटरसाईकिल पर बैठाकर कलसाडा होते हुये कैरवाडा रोड पर लेकर गया जहां सुनसान जगह पर उसके तीन साथी पहले से खडे हुये मिले जिनके पास कट्टा, चाकू था व पहुचते ही एक ने मेरी कनपटी पर कट्टा लगा दिया व मेरे साथी देवीलाल के पेट पर उनमे से एक व्यक्ति ने चाकु लगा दिया तथा हमे डरा धमका कर मेरा एकबैग जिसके उपर बिरला चाय लिखा हुआ था जिसमे 2 लाख रुपये, 2 जोडी कपडे,2 चौक बुक , गले की सोने की चौन, एक हाथ की घडी , पर्स जिसमे कुल 21 हजार रुपये 5 एटीम कार्ड, एक पहचान पत्र व आधार कार्ड व अन्य कागजात व सैमसंग व लावा कम्पनी का मोबाईल जिसमे सिम न0 9784969546, 7300050151 व मेरे साथी देवीलालका एक बैग जिसमे एक जोडी कपडे व पर्स जिसमे करीब 2700/– रुपये व आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, एक एटीएम बैंक ऑफ इण्डिया व अन्य कागजात व चाँदी का देवता का लोकेट व मोबाईल वीवो कम्पनी जिसमे सिम न0 9829440661मारपीट कर छीन लिये ।

राही/ सन्तरा/599/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।